<u>न्यायालयः-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला-अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.—382 / 15</u> <u>संस्थापित दिनांक—18.11.2015</u> Filling number-235103004512015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अ**भियोजन**

विरुद्ध

- 1- विन्नीबाई पत्नी बुद्ध प्रजापति उम्र 40 साल
- 2- नेपाल प्रजापति पुत्र बुद्धा प्रजापति उम्र 20 साल
- 3— महेन्द्र पुत्र बुद्धा प्रजापित उम्र 22 साल निवासीगण — ग्राम तारई पिपरई

.....आरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 20.04.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324(दो—शीर्ष), 323/34(दो—शीर्ष), 341, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 06.11.2015 को समय सुबह 7 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई स्थित ग्राम तारई लोक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे परिवादी तथा अन्य को क्षोभ कारित किया तथा परिवादी/आहत वीरन व गुड्डीबाई को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की एवं अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत वीरन व गुड्डीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत जगदीश को स्वेच्छया उपहित कारित की तथा परिवादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध किया तथा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 20.04.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी विन्नीबाई, नेपाल, महेन्द्र को भा.द.वि की धारा 294, 323/34(दो—शीर्ष), 341, 506 भाग दो भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी वीरेन्द्र ने अपनी पत्नी गुड्डीबाई के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उनसे और आरोपीगण के परिवार वालों से दो तीन साल से रंजिश चल रही है। दिनांक 06.11.2015 को सुबह 7 बजे उसकी पत्नी गुड्डी बाई लेटिंग करके वापस आ रही थी तो नेपाल उसे

रोककर मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा उसने गाली देने से मना किया तो उसे बांये हाथ के पंजा में काट खाया व धक्का देकर पटक दिया और बांये आंख में लात मारी मुंदी चोट आई। जब वह अपनी पत्नी गुड़डीबाई को बचाने पहुँचा तो नेपाल ने उसे पत्थर उठाकर मारा जो बांये आंख के नीचे लगा मुंदी चोट आई व बाये कंधा में काट खाया, इतने में नेपाल की मां बिन्नीबाई और भाई महेन्द्र प्रजापित आ गये उन्होंने भी फरियादी व उसकी पत्नी की थप्पडो, गुम्मो से मारपीट की, मौके पर सबलु प्रजापित था जिसने सारी घटना देखी व बीच बचाव किया। घटना के बाद फरियादीगण जब भागकर पप्पू कलार के घर पहुँचे तो आरोपीगण उनका पीछा करते हुये पप्पू के घर आ गये और बोले अगर रिपोर्ट को गये तो जान से मारकर फेक देगे, इस कारण घटना दिनांक को रिपोर्ट को नहीं आ सके। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.11.2015 को समय सुबह 7 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई स्थित ग्राम तारई लोक स्थल पर अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी, आहत वीरन व गुड्डीबाई को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर परिवादी, आहत वीरन व गुड्डीबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी, आहत वीरन, गुड्डीबाई को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— विचारणीय प्रश्न क0 1 व 2 एक दुसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की उन्हीं बिन्दूओ पर पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ निराकरण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी वीरन अ0सा01 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 1—2 साल पहले की होकर सुबह 7 बजे की है। घटना दिनांक को उसकी पत्नी गुड़डीबाई लेट्टिंग करके वापस आ रही थी तो रास्ते में नेपाल मिला और उसकी पत्नी के साथ

गाली गलौच करने लगा। फिर उसकी पत्नी ने गाली गलौच करने से मना किया, धक्का मुक्की में उसकी पत्नी को गिर जाने से चोट आ गई थी। जब वह घटना स्थल पर पहूँचा तो नेपाल सिंह से उसका भी वाद विवाद हो गया था और धक्का मुक्की में गिर जाने से उसे भी हल्की फुल्की चोट आ गई थी तथा घटना स्थल पर ही नेपाल की मां बिन्नीबाई और महेन्द्र प्रजापित भी आ गये थे जिनके साथ भी उसका तथा उसकी पत्नी की धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उन्हे हल्की फुल्की चोटे आ गई थी। घटना के समय उनके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना पिपरई में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका तथा उसकी पत्नी का अस्पताल में इलाज कराया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी वीरन अ0सा1 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि नेपाल ने उसकी पत्नी के बांये हाथ के पंजे में काट खाया था व धक्का देकर पटक दिया था और उसकी बांयी आंख में लात मार दी थी। इस बात से भी इंकार किया कि नेपाल ने उसे पत्थर उठाकर मार दिया था जो उसकी बांयी आंख के उपर लगा था जिससे खून निकल आया था व बांयी तरफ नेपाल ने उसे काट खाया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए एवं बी से बी भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि वैसी रिपोर्ट व उक्त कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका व उसकी पत्नी का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

08— अभियोजन साक्षी गुड्डीबाई अ०सा०२ ने उनके न्यायालयीन कथनो मे बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना आज से करीब 1—2 साल पहले की होकर सुबह 7 बजे की है। घटना दिनांक को वह लेट्रिंग करके वापस आ रही थी तो रास्ते में नेपाल मिला और उसके साथ गाली गलौच करने लगा। फिर उसने गाली देने से मना किया, धक्का मुक्की में गिर जाने से चोट आ गई थी और उसके पित जब घटना स्थल पर आए तो नेपाल सिह से उनका भी वाद विवाद हो गया था और धक्का मुक्की में गिर जाने से उसे भी हल्की फुल्की चोट आ गई थी तथा घटना स्थल पर ही नेपाल की मां बिन्नीबाई और महेन्द्र प्रजापित भी आ गये थे जिनके साथ भी उसका तथा उसके पित की धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उन्हे हल्की फुल्की चोट आ गई थी। घटना के समय उनके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। उक्त घटना के संबंध में उसके पित द्वारा थाना पिपरई में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी।

09- अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी गुड्डीबाई अ०सा०२ से सूचक प्रश्न पूछे

जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि नेपाल ने उसके पित के बांये हाथ के पंजे में काट खाया था व धक्का देकर पटक दिया था और उसकी बांयी आंख में लात मार दी थी। इस बात से इंकार किया कि नेपाल ने उसके पित को पत्थर उठाकर मार दिया था जो उसके पित के बांयी आंख के उपर लगा था जिससे खून निकल आया था। इस बात से इंकार किया कि उसके पित को बांयी तरफ नेपाल ने काट खाया था। इस बात से इंकार किया कि नेपाल के भाई महेन्द्र व मां बिन्नीबाई ने उसे व उसके पित को लात घूसो से मारपीट की थी। इस बात से इंकार किया कि घटना स्थल पर उसके जेठ सब्बू आ गये थे जिन्होंने उन्हें बचाया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि उक्त कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती।

- 10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी/आहत वीरन, गुड्डीबाई द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की में गिरने से उन्हें चोट आई थी। आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। प्रतिपरीक्षण में साक्षी वीरन अ०सा०1 व गुड्डीबाई अ०सा०2 ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि आरोपी नेपाल ने उन्हें दांत से नहीं काटा था बल्कि धक्का मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से चोट आई थी और घटना स्थल पर आरोपीगण वीरन व गुड्डीबाई के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक ०६. 11.2015 को समय सुबह ७ बजे या उसके लगभग थाना पिपरई स्थित ग्राम तारई लोक स्थल पर अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत को सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः आरोपी विन्नीबाई, नेपाल, महेन्द्र के विरूद्ध धारा 324(दो—शीर्ष), 324/34(दो—शीर्ष) भा०द०वि० का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 12- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 13— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0